कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड
लोक निर्माण विभाग, डोईवाला (देहरादून)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, N.H. P.W.D.,Doiwala

Website-http://pwd.uk.gov.in **E-Mail-eenhdoiwala@rediffmail.com**

पत्रांकः— 18 /14सी0 दिनांक 7 / 2 /2018

सेवा में,

रिलॉयस जियो लिमिटेड
एन0सी0आर0 प्लाजा न्यू कैन्ट रोड़,
हाथी बड़कला, देहरादून।

विषयः—Permision to laying optical fibre cable in Chamba Mussorrie route Total Length 54.80 Km by Reliance Jio Infocom Limited on NH 707A.

सन्दर्भः— आपका पत्रांक 0/रोड कटिंग दिनांक 06/02/2018

उपरोक्त विषयक के क्रम में आप द्वारा प्रेषित ड्राफ्ट संख्या 855884 दिनांक 05.02.2018 एच0डी0एफ0सी0 बैंक, देहरादून द्वारा रू0 4,21,04,263.00 इस कार्यालय में प्राप्त किया गया है, जिसके क्रम में रा0मा0 संख्या 707ए के चम्बा से मसूरी में ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाने हेतु अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के साथ दी जाती हैः—

1. यदि भविष्य में मार्ग चौड़ीकरण /सुदृढ़ीकरण का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है तो आपके द्वारा बिछाई गई लाईन आपके विभाग को अपने व्यय पर शिफ्ट करनी पड़ेगी। यदि निर्धारित समय तक आपके द्वारा उक्त लाइन नहीं हटाई जाती है तो विभाग को अधिकार होगा कि यह उक्त लाईन को हटा/दबा देगा तथा इस कार्य पर होने वाले व्यय को वसूल करने का पूर्ण अधिकार ।
2. मार्ग काटने का कार्य पूर्ण सावधानी तथा यातायात की सुरक्षा प्रबन्ध तथा बैरिकेडिंग, रिप्टैरिंग आदि किये जाने के पश्चात किया जायेगा तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गयी समय सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करना होगा।
3. सडक काटते समय यातायात की सुविधा एवं सुरक्षा के लिये मार्ग के दोनों ओर प्रबन्ध किये जाये, यदि कोई दुर्घटना घटती है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. जिस समय मार्ग काटने का कार्य किया जाये उससे पूर्व लोक निर्माण विभाग एवं जिलाधिकारी महोदय देहरादून व टिहरी को यथासमय सूचित किया जाये।
5. उपरोक्त स्वीकृति दिनांक 06.07.2018 तक वैद्य है तथा उक्त तिथि के बाद 2 प्रतिशत अधिक धनराशि जमा कर पुनः स्वीकृति लेनी होगी।
6. लाईन बिछाने का कार्य आगणन के अनुसार होना अत्यन्त आवश्यक है। यदि भविष्य में मार्ग को पुनः निर्माण आदि के लिये गहराई पर खोदा जाता है व उससे आपके द्वारा डाली गई लाईन क्षतिग्रस्त होती है तो उसका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
7. सडक काटने के पश्चात भरी जाने वाली मिटटी को लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार कम्पैक्शन किया जाना आवश्यक है।
8. खुदाई करते समय पक्के मार्ग के नीचे का ब्लास्ट आदि ट्रेंच के एक ओर तथा खुदाई की मिटटी दूसरी ओर रखी जाये। कार्य पूर्ण होने पर पहले मिटटी भरी जाये, एक दो दिन बाद मिटटी दबाकर फिर खोदा गया ब्लास्ट उसके उपर डाला जाये, मिटटी तथा ब्लास्ट को टैंकर से पानी डालकर काम्पैक्ट किया जाये।
9. जब कभी लाईन में आपके द्वारा कोई कार्य किया जायेगा तो कार्य करने से पूर्व आवश्यक शुल्क जमा कर अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
10. रोड़ कटिंग चार्जेज रू0 4,21,04,263.00 जो कि आपके आपके द्वारा चैक संख्या 855884 दिनांक 05.02.2018 द्वारा एच0डी0एफ0सी0 बैंक में जमा किये गये हैं व मार्ग को भविष्य में सुचारू रूप से चालू रखने हेतु व्यय किये जाते है। यह राशि नॉन रिफन्डेबिल है।
11. खुदाई की मिटटी पक्की सतह पर न डाली/छोड़ी जाये।
12. आपके द्वारा जमा की गई उक्त धनराशि आगणन के अनुसार है, जिसका विवरण आगणन में दिया गया है हेतु ली गई है। यदि कटिंग आगणन में दिये गये क्षेत्रफल से अधिक होती है तो अतिरिक्त कटिंग की धनराशि आपको तुरन्त जमा करानी होगी। यदि आप इस धनराशि को समय पर जमा न कर पाये तो विभाग को अधिकार होगा कि वह वसूली एज ए लैण्ड रैवेन्यू वसूल करवाये जायेंगे तथा इस प्रकार वसूल की जाने वाली धनराशि पर हुये व्यय की वसूली भी आपसे की जायेगी।
13. आगणन के अनुसार 23.00 कि0मी0 Arial Wiring एवं 31.80 कि0मी0 भूमिगत केबिल बिछाने का कार्य किया जायेगा।
14. भविष्य में यदि कोई अन्य दिशा निर्देश भारत सरकार द्वारा किये जाते हे तो उनका पालन करने हेतु आप बाध्य होंगे।

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0,
डोईवाला (देहरादून)

पत्रांक / तद्दिनांक

प्रतिलिपिः— 1. जिलाधिकारी, देहरादून एवं टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

2. सहायक अभियन्ता, प्रथम एवं तृतीय, रा0मा0खण्ड लो0नि0वि0, डोईवाला (देहरादून) को इस आशय से प्रेषित कि मार्ग कटिंग हो जाने पर काटे गये क्षेत्रफल की वास्तविक विस्तृत सूचना एवं अतिरिक्त रूप से इस कार्यालय को प्रेषित किया जाये, यदि निरीक्षण के दौरान इसमें अनियमितता पाई गई तो इसकी सीधी जिम्मेदारी सम्बन्धित मेट व अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता की होगी।

3. खण्डीय रोकडिया को उपरोक्त ड्राफ्ट सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0,
डोईवाला (देहरादून)